भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2271
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

बच्चों में कुपोषण और एनीमिया

2271. **डॉ. डी. रवि कुमारः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोषण अभियान के अंतर्गत बाल कुपोषण और रक्ताल्पता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण/विभागीय आंकड़ों से पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार होने का संकेत मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु सहित पोषण योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों और लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में बाल कुपोषण को समाप्त करने और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0'(मिशन पोषण 2.0) के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण परिणामों, बौनापन, दुबलापन और अल्प वज़न की व्याप्तता की निगरानी और समीक्षा के लिए एक आईसीटी आधारित उपकरण 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन शुरू किया है। मिशन के तहत इन पोषण संकेतकों और लाभार्थी कवरेज के बारे में राज्यवार जानकारी पोषण ट्रैकर सार्वजनिक डैशबोर्ड: https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) प्रति कुछ वर्षों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौर आयोजित करता है जिसमें देश भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। नवीनतम एनएफएचएस-6 और पोषण ट्रैकर से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**बौनापन %**	**अल्प वजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस -6 (2023-24)	29.3	31.8	19.0
पोषण ट्रैकर (जून 2026)	29.3	11.91	3.88

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एनीमिया से पीड़ित बच्चों के डेटा का रिकॉर्ड भी रखता है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, 6-59 माह की आयु के बच्चों में एनीमिया की व्याप्तता 67.1 प्रतिशत है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी निधि का राज्यवार विवरण अनुलग्नक । में है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों को टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाता है।
- पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन (सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाया जाने वाला क्रमशः पोषण माह और पोषण पखवाड़ा) के रूप में सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पैरवी की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर रूप से कुपोषण की रोकथाम और उपचार के लिए और संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है।

- आहार-विविधता और पौष्टिक स्थानीय उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका विकसित की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में गर्भवती महिलाओं के बीच मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है जो इस प्रकार हैं

- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद अंतरण योजना है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित पूर्णत निशुल्क और बिना किसी व्यय के प्रसव कराने का अधिकार देता है। इन पात्रताओं में निशुल्क दवाएं, उपभोग्य सामग्रियां, ठहरने के दौरान मुफ्त आहार, नि:शुल्क निदान, निशुल्क परिवहन और यदि आवश्यक हो तो निशुल्क रक्त आधान शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन, नि:शुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।
- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) का उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि:शुल्क और सेवाओं से वंचित करने के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ताकि सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोका जा सके।
- आईसीडीएस के साथ समन्वय में पोषण सहित मातृ एवं बाल देखभाल के प्रावधान के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक मासिक आउटरीच कार्यकलाप है।
- विशेष रूप से जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए आउटरीच शिविरों का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक जुटाव के साथ-साथ उच्च जोखिम वाले गर्भधारण को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेतों, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसवों के बारे में शिक्षित करने के लिए मातृ एवं बाल संरक्षण (एमसीपी) कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरित की जाती है।
- नियमित आईईसी/बीसीसी भी अधिक मांग सृजन के लिए सभी योजनाओं का एक हिस्सा है। स्वस्थ प्रथाओं में सुधार और सेवा प्राप्त करने की मांग पैदा करने

के लिए मास और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है।

- स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए दुर्गम, दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग, प्रसूति उच्च निर्भरता इकाइयों और गहन देखभाल इकाइयों (प्रसूति एचडीयू और आईसीयू), जन्म प्रतीक्षालयों (बीडब्ल्यूएच) सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।

अनुलग्नक ।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी निधि का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

करोड़ रुपये

क्र. सं.	**राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जारी की गई निधि (2025-26)**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8.1
2	आंध्र प्रदेश	759.76
3	अरुणाचल प्रदेश	118.5
4	असम	1548.67
5	बिहार	905.43
6	चंडीगढ़	9.87
7	छत्तीसगढ़	518.22
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5.92
9	दिल्ली	150.21
10	गोवा	19.74
11	गुजरात	699.13
12	हरियाणा	67.12
13	हिमाचल प्रदेश	328.59
14	जम्मू एवं कश्मीर	401.62
15	झारखंड	429.26
16	कर्नाटक	863.64
17	केरल	283.81
18	लद्दाख	16.41

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई निधि (2025-26)
19	लक्षद्वीप	0.82
20	मध्य प्रदेश	937.45
21	महाराष्ट्र	1405.45
22	मणिपुर	199.99
23	मेघालय	182.04
24	मिजोरम	52.69
25	नागालैंड	146.29
26	ओडिशा	911.27
27	पुदुच्चेरी	4.02
28	पंजाब	190.73
29	राजस्थान	843.51
30	सिक्किम	18.21
31	तमिलनाडु	636.6
32	तेलंगाना	209.2
33	त्रिपुरा	154.73
34	उत्तर प्रदेश	2145.42
35	उत्तराखंड	271.05
36	पश्चिम बंगाल	1333.9
